भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*16
सोमवार, 04 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

बेरोजगारी दर

*16. श्री राम मोहन नायडू किंजरापुः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि दिसंबर, 2018 मे बेरोजगारी दर 7.4 प्रतिशत बढ़ गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सही है कि 84 प्रतिशत रोजगार ग्रामीण आबादी में कम हुआ है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या आगे यह भी सही है कि 3.7 मिलियन नौकरियां वेतन भागी कर्मचारियों की चली गई थीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

बेरोजगारी दर के बारे में श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *16 के भाग (क) से (घ) के दिनांक 04.02.2019 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ) श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार-बेरोजगारी पर आयोजित किए गए श्रम बल सर्वेक्षणों के उपलब्ध परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के ग्रामीण एवं शहरी व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर तथा श्रमिक जनसंख्या अनुपात को नीचे दिया गया हैः

वर्ष	बेरोजगारी दर (% में)			श्रमिक जनसंख्या अनुपात (% में)		
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण+शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण+शहरी
2012-13	3.5	5.3	4.0	53.6	44.2	51.0
2013-14	2.9	4.9	3.4	57.1	45.5	53.7
2015-16	3.4	4.4	3.7	53.9	41.8	50.5

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 21.01.2019 तक योजना में 1,28,501 प्रतिष्ठानों तथा 1.05 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत 25 जनवरी, 2019 तक कुल 15.59 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

*****